

By-e-mail  
31/03/2023  
दिनांक: 13-3-2023

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

- क्रमांक: प.8(क)(या)(246)/डीएलबी/2014/5342-5348  
5349-5358
1. उपनिदेशक(क्षेत्रीय),  
स्थानीय निकाय विभाग,  
समस्त राजस्थान,
  2. आयुक्त,  
नगर निगम  
समस्त राजस्थान।

**विषय:-** डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में।

**प्रसंग:-** विभागीय अधिसूचना 9329 दिनांक 22.10.2021 एवं आदेश 20178 दिनांक 28.11.2022 एवं पत्र क्रमांक 3603-3890 दिनांक 20.02.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि उक्त विषय में स्थानीय निकायों में महिला एवं महिला सहायता समूह तथा विशेष योग्यजनों को आवंटित किये गये डेयरी बूथों की सूचना निम्न सारणी में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा चाही जा रही है।

अतः उक्त सूचना निम्न सारणी में आज ही विभागीय ई-मेल आईडी dlbalrsection@gmail.com भिजवाने का श्रम करावें।

क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	2021-22 में महिला एवं महिला समूह को आवंटित किये गये डेयरी बूथों की संख्या।	2021-22 में विशेष योग्यजनों को आवंटित किये गये डेयरी बूथों की संख्या।	2022-23 में महिला एवं महिला समूह को आवंटित किये गये डेयरी बूथों की संख्या।	2022-23 में विशेष योग्यजनों को आवंटित किये गये डेयरी बूथों की संख्या।

Liya  
(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

दिनांक: 13-3-2023

क्रमांक: प.8(क)(या)(246)/डीएलबी/2014/5359-5365

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी, नगर परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
5. प्रोग्रामर (आई.टी.सैल), निदेशालय।
6. सुरक्षित पत्रावली।

Liya  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी